

महत्वपूर्ण  
फैक्स  
ई-मेल

बिहार सरकार  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक - प्र04/ख0वि0अधि0-01/2011(खंड-1)-

खाद्य, पटना/दिनांक-

13.04.12

प्रेषक,

शिशिर सिन्हा  
प्रधान सचिव ।

23/FS

सेवा में,

सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना  
प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना  
महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना

विषय :-

खरीफ विपणन मौसम 2011-12 अन्तर्गत राज्य अभिकरणों द्वारा किसानों से सीधे धान क्रय करने की अवधि में संशोधन के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में कहना है कि विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0 9584 दिनांक 03.12.11 द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2011-12 अन्तर्गत राज्य अभिकरणों यथा पैक्स, बिहार राज्य खाद्य निगम एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों से सीधे धान क्रय करने की अवधि दिनांक 30.04.12 तक निर्धारित है ।

राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समीक्षा के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त खरीफ विपणन मौसम 2011-12 अन्तर्गत राज्य अभिकरणों द्वारा किसानों से सीधे धान का क्रय दिनांक 15.04.12 तक ही किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

अनुरोध है कि खरीफ विपणन मौसम 2011-12 अन्तर्गत राज्य अभिकरणों द्वारा किसानों से सीधे धान का क्रय दिनांक 15.04.12 तक ही किया जाय ।

विश्वासभाजन,

23/FS

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक - प्र04/ख0वि0अधि0-01/2011(खंड-1)-

खाद्य, पटना/दिनांक-

13.04.12

प्रतिलिपि - सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम/निबंधक, सहयोग समितियों, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23/FS

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक - प्र04/ख0वि0अधि0-01/2011(खंड-1)-

खाद्य, पटना/दिनांक-

13.04.12

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/ विकास आयुक्त, बिहार, पटना/ संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक- प्र04/ख0वि0अधि0-01/2011(खंड-1)-

23/FS

खाद्य, पटना/दिनांक-

13.04.12

प्रतिलिपि- आई0टी0 प्रबंधक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभाग के वेब-साईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित को ई-मेल करने हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव ।